**भारत सरकार**

**शहरी विकास मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

 **अतारांकित प्रश्न सं0** **2223**

**12 मई, 2016 को उत्तर के लिए**

ySaM iwfyax uhfr dk fØ;kUo;u

2223- Jh fiñ HkV~Vkpk;Z%

D;k 'kgjh fodkl ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k dbZ lkslk;fV;ksa] Msosyijksa rFkk fcYMjksa us fnukad 5 flrEcj] 2013 ds dkñvkñ la[;k 2687 }kjk vfèklwfpr dh xbZ ySaM iwfyax uhfr ds vUrxZr Msosyij ,fUVVh ¼MhñbZñ½ ds :i esa izfrHkkfxrk djus gsrq tsñ ls ,yñ tksu] ,uñ ,aM ihñ ¼I rFkk II½ esa Hkwfe dh [kjhn dh gS(

¼[k½ D;k Hkwfe dh [kjhn djus okys fuos'kd dkQh le; ls bl uhfr ds fØ;kUo;u dh izrh{kk dj jgs gSa vkSj blds fØ;kUo;u esa foyac ds dkj.k [kjhnkjksa] lkslk;fV;ksa vkSj Msosyijksa esa ?kcjkgV dh fLFkfr gS( vkSj

¼x½ D;k ljdkj Hkze dks nwj djus gsrq bl uhfr ds lacaèk esa izxfr rFkk laHkkfor le;&lhek ds ckjs esa izsl&foKfIr tkjh fd, tkus dk bjknk j[krh gS\

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): दिल्‍ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि, उन्‍होंने अनेकों पत्र प्राप्‍त किए हैं और समाचार पत्रों की रिपोर्टों से सूचना प्राप्‍त हुई है कि कुछ विकासक/सहाकारी सोसाइटियां दिल्‍ली में लैंड पूलिंग क्षेत्रों में फ्लैटों/प्‍लांटों का पंजीकरण/बुकिंग कर रहे हैं। लैंड-पूलिंग नीति तभी लागू होगी जब विनियम अधिसूचित हो जायेंगे और क्षेत्र में गांवों की घोषण ।

(i) दिल्‍ली नगर निगम (एमसीडी) की राय प्राप्‍त करने के पश्‍चात उपराज्‍यपाल, दिल्‍ली द्वारा दिल्‍ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 12 के अंतर्गत विकास क्षेत्र और (ii) राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार के अनुमोदन के पश्‍चात् संबंधित एमसीडी द्वारा दिल्‍ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 507 के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के रूप में घोषित कर दी जाएगी। डीडीए तदनुसार मामले पर कार्रवाई कर रहा है।

(ग): कतिपय समाचार पत्रों की मदों का संज्ञान लेते हुए कि कुछेक विकासक/सहकारी सोसाइटियां दिल्‍ली में लैंड पूलिंग के अंतर्गत क्षेत्रों में फ्लैंटों/प्‍लॉटों के लिए पंजीकरण/बुकिंग कर रहे हैं, डीडीए आम जनता को समाचार पत्रों के माध्‍यम से निरंतर चेतावनी/परामर्शिका जारी कर रहा है कि उक्‍त नीति के तहत आवास हेतु ऐसे प्रस्‍तावों/स्‍कीमों में निवेश न करें।

\*\*\*\*\*\*\*\*